न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 12/2018

1 अमर सिंह पुत्र गणपत सिंह आयु 85 साल जाति राजपूत निवासी रायली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 संगीता देवी पत्नी नवीन कुमार जाति महाजन निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
2 महेन्द्र कंवर स्त्री जगरूपसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
3 मंगेज कंवर पुत्री नत्थुसिंह पत्नी पूर्णमल जाति राजपुत निवासी रायली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
4 औंकार सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति राजपुत निवासी रायली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
5 उप पंजियक बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 05.02.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना बमुकदमा उनवानी अमरसिंह बनाम संगीता देवी वगैरह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अ. धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 138/2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री मोहम्मद रफीक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुलतान बागोलिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 11.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 138/2017 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन गत खसरा नम्बर 79 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा गत खसरा नम्बर 19 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 20 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 21/1 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 80 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा, कुल किता 5 कुल रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम रायली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू में स्थित है। जिसका पूर्व में खातेदार काश्तकार अपीलांट अमरसिंह, नत्थूसिंह, औंकारसिंह, जयपालसिंह पुत्र गणपत सिंह रहे है व खातेदार नत्थूसिंह फौत हो चुका है। जिसने अपने जीवनकाल मे अपने हिस्से की जमीन का विक्रय दिनांक 04.10.1958 को रणसिंह, गुलसिंह, गुरूदयालसिंह पुत्र चन्द्रसिंह को कर दिया तथा रेस्पोडेंट नम्बर 4 औंकारसिंह ने दिनांक 04.10.1958 को अपने हिस्से में आई जमीन जरिये विक्रय पत्र रणसिंह, गुलसिंह, गुरूदयालसिंह पुत्र चन्द्रसिंह को विक्रय कर दिया इस प्रकार स्वः नत्थुसिंह व रेस्पोडेंट नम्बर 4 औंकारसिंह ने अपने हिस्से की संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्से को दिनांक 04.10.1958 को जरिये विक्रय पत्र कुल 14 बिघा 10 बिस्वा भूमि को विक्रय कर दिया। उक्त विवादित जमीन को विक्रय करने के पश्चात विक्रेता ने अपने समस्त खातेदारी अधिकार क्रेतागण को हस्तान्तरित कर दिय। गत खसरा नम्बर 80 के हाल

खसरा नम्बर 114,113,112 बने, गत खसरा नम्बर 19 के हाल खसरा नम्बर 30, गत खसरा नम्बर 79 के हाल खसरा नम्बर 112 तथा गत खसरा नम्बर 20 के हाल खसरा नम्बर 123/23 बने। रेस्पोडेंट 3 के पिता व रेस्पोडेंट नम्बर 4 के द्वारा अपने हिस्से की भूमि विक्रय करने के पश्चात 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि शेष रही जो हाल खसरा नम्बर 114 में शेष नही। रेस्पोडेंट नम्बर 3 के पिता व रेस्पोडेंट नम्बर 4 के ने अपने हिस्से की भूमि जो विक्रय की वो भूमि खसरा नम्बर 112/4 रकबा 1.29 हैक्टेयर थी इस प्रकार खसरा नम्बर 112/4 में रेस्पोडेंट नम्बर 3 के पिता व रेस्पोडेंट नम्बर 4 के हिस्से में कोई भूमि शेष नही रही लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से खसरा नम्बर 112/4 रेस्पोडेंट नम्बर 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। जिसका नाजायज फायदा उठाते हुये रेस्पोडेंट नम्बर 3 ने खसरा नम्बर 112/4 रकबा 1.29 हैक्टेयर को रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 को गलत व साजसी रूप से दिनांक 26.05.2017 को विक्रय कर दिया। जिसके खिलाफ अपीलांट ने एक दावा तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि गत खसरा नम्बर 79,19,20,80 कुल रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा था दिनांक 04.10.1958 को 14 बिघा 10 बिस्वा का विक्रय किया गया। इसके उपरान्त रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा शेष था परन्तु गलती से राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्सा अंकित कर दिया गया। इस गलत रिकार्ड के आधार पर दिनांक 26.05.2017 को पुन विक्रय कर दिया गया इसका दुरूस्ती का दावा विचाराधीन है। अत टी.आई.आवेदन गलत खारिज किया गया है। अपील स्वीकार कर तादौराने वाद स्थगन जारी किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि मंगेज कंवर का पिता नत्थूसिंह भू–प्रबन्ध के पूर्व एवं पश्चात खातेदार काश्तकार रहे है सन 2003 में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपने हक हिस्से की भूमि का विभाजन करवा लिया था। दिनांक 26.05.2017 को रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को विक्रय किया गया है। अपीलांट अनुचित दबाव बनाकर औने पौने दामों में भूमि लेना चाहता है। 1958 के नामान्तकरण की अपील नही की गई है। विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों घटको का विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नम्बर 112/4 मंगेज कंवर की खातेदारी में दर्ज थी रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने मंगेज कंवर से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.05.2017 से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। परन्तु अपीलांट ने तर्क दिया कि गत खसरा नम्बर 79,19,20,80 कुल रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा था दिनांक 04.10.1958 को 14 बिघा 10 बिस्वा का विक्रय किया गया। इसके उपरान्त रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा शेष था परन्तु गलती से राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्सा अंकित कर दिया गया। इस गलत रिकार्ड के आधार पर दिनांक 26.05.2017 को पुन विक्रय कर दिया गया इसका दुरूस्ती का दावा विचाराधीन है। अत टी.आई.आवेदन गलत खारिज किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में गलत राजस्व रिकार्ड को जरिये दावा चुनौती दी गई है। दावे के निस्तारण से पूर्व यदि रेस्पोडेंट द्वारा विवादित भूमि को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो पक्षकारों में वाद बाहुल्यता बढेगी इसे दृष्टिगत रखते हुये वाद के निर्णय तक उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उभयपक्ष को मूलवाद के निर्णय तक विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर